कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 591/11-सी-यू०पी०-7218/2015, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 11/2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज,
लखनऊ -226024

विषय : पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्जन के साथ पुल संख्या - 84 का आरक्षित वन भूमि निर्माण।

संदर्भ : (I) ऑनलाइन आवेदन प्रस्ताव संख्या एफपी/यूपी/रेल/7218/2014
(II) वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/07/34/2015/एफ०सी०/765, दिनांक 11.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित त्रुटियों दिनांक 11.09.2015 को संशोधित कर दिया गया है तथा उनका क्रमवार स्पष्टीकरण निम्न है:-

(1) पार्ट-1 ई में रेलवे विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित योजना से मिलने वाला रोजगार लगभग 60,000 मानव दिवस है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-52 पर संलग्न् है। यह संशोधन पार्ट-1 के पैरा E (i) पर भी दर्शा दिया गया है।
(2) पार्ट-2 ,13 (i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना बिन्दु संख्या-1 में प्रभावित वन भूमि 0.85 हे0 के दोगुने 1.70 हे0 अवनत वन भूमि में रोपण हेतु 1,96,820/- प्रति हे0 की दर से 3,34,594/- है। संशोधित सारांश पृष्ठ संख्या 31A संलग्न है तथा पार्ट-2, 13(i) के अनुरूप है।
(3) पृष्ठ सं0-10, 11 एवं 12 पर संलग्न मानचित्रों पर वांछित सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।
(4) प्रस्तावित भूमि व भूसंदर्भित डिजिटल मैप, जिसमें अक्षांश एवं देशान्तर के बिन्दुओं को दर्शाया गया है, तथा इनका विवरण पृष्ठ संख्या-71 व 72 पर हस्ताक्षर युक्त संलग्न है।
(5) प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-14, 15 एवं 16 पर वांछित मोहर अंकित कर दी गयी है।
(6) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गूगल मानचित्र तथा भूसंदर्भित डिजिटल मानचित्र पृष्ठ संख्या-29 एवं 32 पर सक्षम अधिकरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।
(7) क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्राक्कलन की त्रुटियों का निवारण करके पुनः पृष्ठ सं0-30, 31 एवं 31A पर संलग्न कर दिया गया है।
(8) Eco Class एवं वानस्पति घनत्व के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के संदर्भ में वांछित त्रुटियों का निवारण कर मूल्यांकन को सही कर दिया गया है तथा यह पृष्ठ सं0-54 पर अंकित है।
(9) पृष्ठ सं0-46 पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर द्वारा वांछित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर व मोहर निहित है।

(10) पृष्ठ सं0–51, 63, 64 एवं 68 पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर के हस्ताक्षरों पर मोहर अंकित कर दी गयी है।

(11) पृष्ठ सं0–65 पर प्रस्तावित क्षेत्र का Linear Diagrammatic Map मानचित्र एवं पृष्ठ संख्या 69 से 72 में संलग्न गजट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दी गयी है तथा संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

11/9/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
3– अतिरिक्त महाप्रबन्धक (परियोजना), रेल विकास निगम लि0, प्रथम तल, पर्यावरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।